**प्रेस विज्ञप्ति**
**26.6.2025**

ईडी चंडीगढ़ जोन ने 22.06.2025 और 23.6.2025 को हिमाचल प्रदेश, हरियाणा और पंजाब में स्थित सात आवासीय, वाणिज्यिक परिसरों और सरकारी कार्यालयों में तलाशी अभियान चलाया, जो निशांत सरीन (वर्तमान में सहायक औषधि नियंत्रक, धर्मशाला के पद पर तैनात) और उनके रिश्तेदारों/सहयोगियों से जुड़ा हुआ मामला है जो हिमाचल प्रदेश के बद्दी में सहायक औषधि नियंत्रक के पद पर रहते हुए व्यक्तिगत लाभ और भ्रष्टाचार और रिश्वतखोरी के लिए आधिकारिक पद के दुरुपयोग से संबंधित है।

हिमाचल प्रदेश पुलिस के राज्य सतर्कता और भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो द्वारा भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 की धारा 11 के तहत दर्ज एफआईआर के आधार पर पीएमएलए के तहत जांच शुरू की गई थी। यह एफआईआर श्री निशांत सरीन, तत्कालीन सहायक औषधि नियंत्रक (एडीसी), बद्दी के खिलाफ दर्ज की गई थी। इसके बाद, उन्हें एसवी एंड एसीबी, हिमाचल प्रदेश पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया गया और उनके सहयोगी कोमल खन्ना के साथ आरोप-पत्र दाखिल किया गया। जमानत पर रिहा होने के बाद, निशांत सरीन को सितंबर 2024 में धर्मशाला के एडीसी के रूप में नियुक्त किया गया।

वर्ष 2022 में हरियाणा पुलिस द्वारा निशांत सरीन और अन्य के खिलाफ एक और एफआईआर दर्ज की गई थी, जिसमें जेनिया फार्मास्यूटिकल्स, पंचकूला के साझेदारी विलेख की कथित जालसाजी से संबंधित मामला था, जिसमें कोमल खन्ना का हिस्सा 50% से बढ़ाकर 95% कर दिया गया था और निशांत सरीन और कोमल खन्ना द्वारा धमकी दी गई थी, जो निशांत सरीन के आधिकारिक पद के दुरुपयोग का एक बार फिर संकेत देता है।

ईडी की तलाशी कार्रवाई के दौरान ड्रग लाइसेंस, कारण बताओ नोटिस, दवा कंपनियों को जारी की गई मंजूरी, संपत्ति से संबंधित दस्तावेज और मोबाइल फोन/लैपटॉप/पेन ड्राइव सहित डिजिटल डिवाइस जब्त किए गए। तलाशी कार्रवाई के दौरान, निशांत सरीन और उनके परिवार के सदस्यों से संबंधित लगभग 32 लाख रुपये की दो गाड़ियाँ, 40 से अधिक बैंक खाते/एफडीआर और 3 लॉकर जब्त/फ्रीज किए गए। इसके अतिरिक्त, ओमेक्स कैसिया, न्यू चंडीगढ़ में उनके निवास पर 60 से अधिक बेहिसाबी(अनअकाउंटेड) शराब की बोतलें भी मिलीं।

इसके अलावा, धर्मशाला के एडीसी के रूप में निशांत सरीन द्वारा की गई जबरन वसूली की शिकायतों और निशांत सरीन के परिवार के सदस्यों और दवा कंपनियों के बीच परस्पर जुड़े वित्तीय लेन-देन की शिकायतों की भी जांच की जा रही है।

आगे की जांच जारी है।